55

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : 299-तीन/2008 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 3-12-2007 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 441/2006-07 निगरानी

1- देवेन्द्र प्रसाद 2- जीवेन्द्र प्रसाद
3- नागेन्द्र प्रसाद 4- ज्ञानेन्द्र प्रसाद
सभी पुत्रगण बैजनाथ राम निवासी
ग्राम लौआर पैपखार तहसील
सिहावल जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क. 441/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दि0 3-12-2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम लौआर पैपखार की भूमि कुल किता 6 कुल रकबा 5-38 है. (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) रघुनाथ राम पुत्र चन्द्रभान राम के नाम वर्ष 1944-45 में गैर हकदार कृषक के रूप में दर्ज होना बताते हुये आवेदकगण ने उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के के यहॉ भूमिस्वामी दर्ज किये जाने की मांग को लेकर दावा प्रस्तुत

किया। उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण कमांक 46 अ-1/1998-99 पॅजीबद्व कर आदेश दिनांक 28-10-99 पारित किया तथा वादग्रस्त भूमि को आवेदकगण के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज करने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष प्रकरण में अनियमिततायें करने की शिकायत होने पर जांच उपरांत उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 46 अ-1/1998-99 में पारित आदेश दिनांक 28-10-99 को पुनरावलोकन में लिये जाने हेतु अनुमति देने वावत् प्रस्ताव कलेक्टर सीधी को भेजा गया, जिस पर से कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 29-1-2007 से पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की। आवेदकगण ने कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 29-1-07 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 441/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पुनरीक्षणकर्ता कमांक-2 से चुनावी रंजिश के कारण बहुजन समाज पार्टी सीधी के अध्यक्ष ने एक फर्जी शिकायत कलेक्टर सीधी को प्रस्तुत की जो कार्यवाही के लिये एस0डी0ओ0 गोपदबनास को भेजी गई। अनुविभागीय अधिकारी ने भी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष की ओर झुकाव करके उनके हितों के सरंक्षण के लिये तहसीलदार के कर्मचारी व रिकार्ड कीपर पर दवाव डालकर प्रतिवेदन लेकर बिना पुनरीक्षण कर्ता को सुने पुर्नविलोकन की अनुमति के लिये प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे है जिस पर कलेक्टर सीधी ने भी ध्यान न देते हुये एकपक्षीय तौर पर पुनरीक्षण की अनुमति प्रदान की है इसलिये गलत आधारों पर पुनरीक्षण की दी गई अनुमति निरस्त की जाकर बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-99 को यथावत् रखा जावे।

शासन पक्ष के पैनल लायर ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के ध्यान में आने पर कि बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्र.क. 46/98-99 अ-1 में आदेश

दि0 28-10-99 से शासकीय भूमि खुर्द-बुर्द की है, भूमि ग्रामीणों के सार्वजनिक निस्तार की है जिसमें आवेदकगण ने व्यवधान उत्पन्न करने की कौशिश की, व्यवधान उत्पन्न होने के कारण गॉव में विवाद न बढ़े , इन्हीं कारणों से प्रशासन का शिकायत के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराने पर एंव प्रशासन के ध्यान में ग्रामीणों की सुविधा व सार्वजनिक हितों का तथ्य आने पर पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की गई है। निगरानी व्यर्थ होने से निरस्त करने की मांग उनके व्दारा की गई।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को विचार करने, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा की गई जांच एंव छानवीन में पाया गया कि वर्ष 1958-59 की खतौनी में गैर हकदार भूमिस्वामी के रूप में आवेदकगण का नाम दर्ज नहीं है तथा इन वर्षो में ग्राम लौआर पेपखार की मूल खतौनी में गैर हकदार कृषक अथवा गैर हकदार भूमिस्वामी का कोई खाता ही नहीं है। उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी व्दारा आवेदकगण के पूर्वजों को वर्ष 1958-59 में गैर हकदार भूमिस्वामी मानने में त्रृटि की गई थी जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने उप बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 28-10-99 को पुनरावलोकन में लेने के प्रस्ताव कलेक्टर को भेजे हैं तथा कलेक्टर सीधी व्दारा छानवीन उपरांत पुनरावलोकन की अनुमति प्रदान की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र.क. 441/2006-07निगरानी में पारित आदेश दि. 3-12-2007 से कलेक्टर को पुनरावलोकन अनुमति प्रदान की है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है क्योंकि आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पुनरावलोकन प्रकरण में सुनवाई का अवसर प्राप्त है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 441/2006-07 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3-12-2007 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर